पत्रांक-2/सी.एम.टी.-96/2011 परि0-

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक ....

विषय : दिनांक 10.06.2012 से पंजीकृत होने वाले नये मोटर वाहनों पर उच्च सुरक्षायुक्त निबंधन प्लेट (High Security Registration Plate) लगाने के संबंध में ।

महाशय,

आप इस तथ्य से अवगत हैं कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-50 में वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधन एवं WP(C)-510/2005 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2012 को पारित आदेश के आलोक में सभी प्रकार के मोटर वाहनों पर उच्च सुरक्षायुक्त निबंधन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य है ।

2. उच्च सुरक्षयुक्त निबंध प्लेट लगाने के संबंध में L3 कंपनी Utsav Safety System Pvt. Ltd. नई दिल्ली से दिनांक 31.05.2012 को एकरारनामा किया गया है । उक्त एकरारनामा के अनुसार दिनांक 10.06.2012 से कुछ जिलों में एवं 20.06.2012 से सभी जिलों में पंजीकृत नये मोटर वाहनों पर उच्च सुरक्षायुक्त निबंधन प्लेट लगाने का कार्य प्रारंभ होना है । उक्त कंपनी HSRP प्लेट का निर्माण,. आपूर्ति एवं मोटर वाहनों पर प्लेट लगाने का कार्य सम्पादित करेगी । पुराने वाहन हेतु विस्तृत अनुदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे ।

3. अत: उक्त कार्य को अतिशीघ्र प्रारंभ करने हेतु निम्न निदेश दिये जाते है:-

(क) वेंडर को स्थान उपलब्ध कराना

1. वेंडर या उसके प्रतिनिधि को जिनके द्वारा HSRP प्लेट का शुल्क लिया जाना है को जिला परिवहन कार्यालय में स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें वह अपना कम्प्यूटर अधिष्ठापित करेंगे । इस हेतु उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा । उक्त कार्यालय में उपयोग में लाये जाने वाले बिजली या अन्य सुविधा के लिए वेंडर द्वारा विहित राशि का भुगतान करना होगा ।

2. वेंडर (Utsav Safety System Pvt. Ltd.) द्वारा एकरारनामा के अनुसार कुछ जिलों में Embossing Stations तथा सभी जिलों में Affixing Stations जिला परिवहन कार्यालय परिसर अथवा निकटतम परिसर में स्थापित किये जायेंगे । चूँकि प्राय: सभी जिलों में Embossing & Affixing Stations के लिए सरकारी स्थान /

परिसर उपलब्ध नहीं है, इस लिए वेंडर के अनुरोध पर प्राईवेट परिसर/ स्थान ढुढ़ने में जिला परिवहन पदाधिकारी वेंडर को आवश्यक सहयोग देंगे । वेंडर द्वारा Embossing Station एवं Affixing Station जिला परिवहन कार्यालय के समीपस्थ परिसर में जिला परिवहन पदाधिकारी की सहमति से स्थापित किया जा सकेगा, जिसे Deemed D.T.O. Premises घोषित करने की कार्रवाई की जायेगी । ऐसे परिसर हेतु रेंट या अन्य चार्ज वेंडर द्वारा भू-स्वामी को भुगतेय होंगा ।

अत: वेंडर के अनुरोध पर उक्त स्थान की उपलब्धता हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाय। उक्त जमीन का रेंट वेंडर द्वारा भुगतेय होगा ।

(ख) जिला परिवहन पदाधिकारी/निबंधन प्राधिकार द्वारा HSRP हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत करना

1. नये वाहनों पर रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी वाहन स्वामी को 'प्राधिकार पत्र' अपने हस्ताक्षर से निर्गत करेंगे। प्राधिकार पत्र का प्रारूप निम्नवत् होंगे -

प्राधिकार पत्र का प्रारूप

सेवा में,

वाहन स्वामी का नाम-
पता -

विषय - वाहन संख्या-...................... पर HSRP प्लेट लगाने हेतु

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके वाहन (वाहन का प्रकार) जिसका निबंधन संख्या-...... ..... इंजन नं0-.................. चेचिस नं0-................. है, पर HSRP प्लेट लगाने हेतु Utsav Safety System Pvt. Ltd. को प्राधिकृत किया जाता है । इस हेतु आप विहित शुल्क का भुगतान अधिकृत एजेन्सी को करेंगे ।

2. HSRP प्लेट की दर निम्नवत् है -

1.	दो पहिया वाहन	- रू0 131/-
2.	तिपहिया/अशक्त वाहन	- रू0 162/-
3.	हल्के मोटर वाहन/पैसेंजर कार	- रू0 335/-
4.	मध्यम/भारी वाहन/ट्रेलर/कम्बीनेशन	- रू0 310/-
5.	कृषि ट्रैक्टर/पावर ट्रेलर कम्बीनेशन	- रू0 140/-

जिला परिवहन पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकार का
हस्ताक्षर

उक्त प्राधिकार पत्र जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन स्वामी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपलब्ध करायेंगे । प्राधिकृत वेंडर का काउन्टर यथा साध्य प्राधिकार पत्र निर्गत करने वाले काउन्टर के ठीक बगल में जिला परिवहन कार्यालय में होना चाहिए ।

3. उक्त प्राधिकार पत्र के आधार पर प्लेट की विहित शुल्क प्राप्त कर वेंडर एक रसीद निर्गत कर वाहन स्वामी या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध करायेंगे । वेंडर द्वारा निर्गत रसीद पर प्लेट लगाने की तिथि, समय एवं स्थान अंकित रहेगा ।

4. डीलर प्वाईट पर निबंधित वाहनों को डीलर से प्राप्त कागजात के आधार पर निबंधन पुस्तिका निर्गत करते समय वाहन स्वामियों के नाम से प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाएगा । वेंडर द्वारा प्राधिकार पत्र के आधार पर वाहन स्वामी या उसके प्रतिनिधि से HSRP प्लेट का मूल्य प्राप्त कर लिया जाएगा । प्राधिकार पत्र डीलर के प्रतिनिधि को उपलब्ध करा दिया जाएगा । वाहन स्वामी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उक्त प्राधिकार पत्र के आधार पर एजेन्सी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर निर्धारित तिथि को अपने वाहन पर HSRP प्लेट लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

5. एकरारनामा के शर्तो के अनुसार HSRP प्लेट लगाने के लिये वेंडर द्वारा वाहन स्वामी को दो कार्य दिवस का समय दिया जायेगा । विलंब की स्थिति में वेंडर से एकरारनामा में विनिर्दिष्ट दंड वसूलनीय होगा । वाहन स्वामी या उसके प्रतिनिधि रसीद में अंकित तिथि एवं समय पर अपने वाहन के साथ नियत स्थान पर जायेंगे, जहाँ वेंडर द्वारा उनके वाहन पर रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं स्टीकर लगाया जायेगा ।

(ग) HSRP की दर

1. HSRP की दर निम्नवत रूप से वाहन स्वामियों से प्राप्त/वसूल की जाएगी :-

1.	दो पहिया वाहन	- रू0 131/-
2.	तिपहिया/अशक्त वाहन	- रू0 162/-
3.	हल्के मोटर वाहन/पैसेंजर कार	- रू0 335/-
4.	मध्यम/भारी वाहन/ट्रेलर/कम्बीनेशन	- रू0 310/-
5.	कृषि ट्रैक्टर/पावर ट्रेलर कम्बीनेशन	- रू0 140/-

उपर्युक्त दर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में तथा सभी Embossing Stations एवं Affixing Station पर प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किया जायेगा । दर तालिका जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए ।

(घ) MIS की स्थापना

वेंडर एक Management Information System (MIS) को स्थापित करेंगे । उक्त आधार पर वाहनों के चेंचिस नम्बर, इंजन नं0 ID No.s आदि का Cross Verification हो सके तथा प्रत्येक HSRP का रिकार्ड Maintain हो सके । वेंडर एकरारनामा के एनेक्चर-III में दैनिक प्रतिवेदन/मासिक प्रतिवेदन समर्पित करेंगे । वेंडर 'वाहन' साफ्टवेयर के साथ Interface निरूपण के लिए उत्तरदायी होंगे । वेंडर एक Web Portal भी विकसित करेंगे । एन.आई.सी. द्वारा

वाहन साफ्टवेयर के साथ Interface के लिए वेंडर को आवश्यक सहयोग दिया जाएगा ।

(ड.) पुराने **HSRP** का विनिमय **(Exchange)**

1. वैसे वाहन जिसमें पहले से HSRP प्लेट लगा हुआ है एवं उनके निबंधन प्लेट या 3rd निबंधन प्लेट, स्टीकर का परिवर्तन करना हो तो वैसी परिस्थिति में निबंधन प्राधिकार से निर्गत प्राधिकार के आधार पर एकरारनामा के एनेक्चर-V में दिए गए दर से शुल्क प्राप्त कर उसे परिवर्तित किया जा सकेगा ।

2. निबंधन प्लेट के निर्माण, हॉट स्टाम्पिंग या Reflective Sheet जिसकी गारंटी अवधि 5 वर्ष है, त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर निबंधन प्राधिकार की अनुशंसा पर बिना शुल्क के वेंडर द्वारा बदला जा सकेगा ।

(च) नोडल प्रदाधिकारी की नियुक्ति

प्रत्येक जिले में नोडल पदाधिकारी जिला परिवहन पदाधिकारी होंगे । वेंडर के प्रतिनिधि नोडल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करेंगे एवं HSRP के क्रियान्वयन संबंधी कार्यों के सुचारू रूप से संचालन में सहयोग करेंगे ।

4. जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना एवं गया दिनांक 10.06.2012 तक यह सूचित करेंगे कि वेंडर द्वारा Embossing Stations एवं Affixing Stations स्थापित कर लिए गए हैं एवं वेंडर द्वारा रसीद निर्गत करना प्रारम्भ कर दिया गया है । साथ ही Embossing Stations एवं Affixing Stations पर HSRP दर प्रदर्शित कर दिया गया है । ऐसी सूचना उनके द्वारा email के माध्यम से भेजी जाएगी । उसके पश्चात् प्रतिदिन प्रगति का प्रतिवेदन भेजेंगे ।

5. जिन जिलों में 20.06.2012 तक Embossing Stations स्थापित किये जाने हैं, उन जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी दिनांक 20.06.2012 संध्या तक email के माध्यम से सूचित करेंगे कि उनके यहां Embossing Stations एवं Affixing Stations स्थापित कर लिये गये हैं एवं वेंडर द्वारा रसीद निर्गत का कार्य प्रारंभ हो चुका है । उसके पश्चात् प्रगति प्रतिवेदन प्रतिदिन भेजेंगे।

6. वेंडर से हुए एकरारनामा को परिवहन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है । जिला परिवहन पदाधिकारी परिवहन विभाग की वेव साईट पर उपलब्ध एकरारनामा में निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे । किसी संदेह की स्थिति में राज्य परिवहन आयुक्त से उनके द्वारा मार्गदर्शन मांगा जाएगा एवं उनसे प्राप्त निदेशों के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करेंगे ।

7. अतः सभी जिला परिवहन पदाधिकारी से अनुरोध है कि वाहनों पर उच्च सुरक्षायुक्त निबंधन प्लेट लगाने के संबंध में उपरोक्त निदेशों का अनुपालन उच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग ।